सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 38 / 2008 दर्ज तिथिः– 09.07.2008

1. श्रीमती शारदा देवी पत्नी रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह जाति राजपूत चौहान निवासी वार्ड नं. 10 रतननगर जिला चूरू
2. सम्पतसिंह पिसरान स्व.रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह जाति राजपूत चौहान निवासी वार्ड नं. 10 रतननगर जिला चूरू
3. रघुनाथसिंह पिसरान स्व.रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह जाति राजपूत चौहान निवासी वार्ड नं. 10 रतननगर जिला चूरू
4. डालसिंह पिसरान स्व.रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह जाति राजपूत चौहान निवासी वार्ड नं. 10 रतननगर जिला चूरू
5. उदयसिंह पिसरान स्व.रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह जाति राजपूत चौहान निवासी वार्ड नं. 10 रतननगर जिला चूरू

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. स्व बिशनसिंह पिसरान चुनसिंह जाति राजपूत निवासीगण गांव पोटी तहसील व जिला चूरू
   1/1 अनकोरी पत्नी स्व. बिशनसिंह
   1/2 गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व बिशन सिंह
   1/3 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. बिशनसिंह
   1/4 मंजूदेवी पुत्री स्व. बिशनसिंह
   1/5 राजूदेवी पुत्री स्व. बिशनसिंह
   1/6 लालादेवी पुत्री स्व. बिशनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण गांव पोटी तहसील व जिला चूरू
2. किशनसिंह पिसरान चुनसिंह जाति राजपूत निवासीगण गांव पोटी तहसील व जिला चूरू
3. बन्नेसिंह पिसरान चुनसिंह जाति राजपूत निवासीगण गांव पोटी तहसील व जिला चूरू
4. श्रीमती शारदा देवी पत्नी मांगूसिंह जाति राजपूत निवासीगण गांव पोटी तहसील व जिला चूरू
5. गुलाबसिंह पुत्र व पुत्रियां स्व. मांगूसिंह जाति राजपूत निवासीगण गांव पोटी तहसील व जिला चूरू
6. सन्तरा पुत्र व पुत्रियां स्व. मांगूसिंह जाति राजपूत निवासीगण गांव पोटी तहसील व जिला चूरू
7. गीता पुत्र व पुत्रियां स्व. मांगूसिंह जाति राजपूत निवासीगण गांव पोटी तहसील व जिला चूरू
8. लीला पुत्र व पुत्रियां स्व. मांगूसिंह जाति राजपूत निवासीगण गांव पोटी तहसील व जिला चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री भागीरथ सिद्ध

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

1. यह कि हम प्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त अनवान का दावा आपके न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें हम प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है।
2. यह कि प्रार्थीगण एवं गौण प्रातिवादीगण सं. 11 से 14 के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह पुत्र धन्नराज सिंह जाति राजपुत चौहान निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू के नाम से खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख. नं. 309 तादादी 4.10 बीघा, ख. नं. 311 तादादी 3 बिश्वा, ख.न. 312 तादादी 31.10 बीघा, ख.न. 348 तादादी 15.10 बीघा इस प्रकार कुल 51.13 बीघा भूमि रोही गांव पोटी तहसली व जिला चूरू में स्थित थी प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फरामचन्द्र सिंह का स्वर्गवास दिनांक 09.04.2007 को बमुकाम रतननगर में हो चुका है।
3. यह कि उपरोक्त प्रार्थना–पत्र की मद नं० 2 में अंकित कृषि भूमि को प्रार्थीगण एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 11 से 14 स्वर्गीय रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह के जीवन काल में उनके साथ रहकर काश्त करते थे और इन्हीं का कब्जा चला आ रहा है। तथा प्रार्थीगण के पूर्वज का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात इस भूमि को प्रार्थीगण एवं गौण प्रतिवादीगण सं० 11 से 14 संयुक्त रूप से काश्त करते आये है। ओर इस समय भी कब्जा काश्त मौके पर प्रार्थीगण का है। तथा इस खेत में ख० नं० रास्तों की वजह से अलग–अलग है। परन्तु यह खेत एक ही है। इसमें करीब 40 वर्षो पुरानी ढाणी बनी हुई है। जिसमें पक्के मकान बने हुए है। जो स्वर्गीय रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह के द्वारा बनाये हुए है।
4. यह कि अप्रार्थीगण सं० 1 से 8 गांव पोटी तहसील व जिला चूरू के निवासीगण है। जो स्वर्गीय रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह के रिश्ते में भाणजे लगते है। जो काफी लोभी लालची एवं मनचले व्यक्ति है। ओर इसी कारण से प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह के स्वर्गवास के पश्चात गलत तरीके से उपरोक्त भूमि को हडप करने की नियत से एक फर्जी गलत एवं साजीशी वसीयत नामें के आधार पर वादगत भूमि को गलत एवं गैर कानूनी तरीके से हडप करने पर आमदा है। जबकि तथाकथित वसीयतनामा स्वर्गीय रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह ने उनके स्वर्गवास दिनांक 9–4–2007 से करीब एक साल पहले अपने सगे दोहिते संजय सिंह पुत्र जगदीशसिंह निवासी माघा का माजरा जिला अलवर को अपने पास बुलाया ओर उसके सामने उन्होंने इस तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 19–3–1990 के बारे में अपने मन की सच्ची सही एवं सम्पूर्ण वास्तविक बात को लिखबाकर इस वसीयत नामों को अपनी स्वेच्छा से निरस्त कर अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर बतौर साक्षी अपने दोहिते संजय सिंह एवं अपने रिश्तेदार करतारसिंह के हस्ताक्षर करवाकर स्वय ने [illegible] एक खाकी रंग के लिफाफे में बंदकर अपने काम की हमेशा [illegible] की सील साक्ष्य के रूबरू लिफाफे पर लगाकर उक्त लिफाफ[illegible] अब अन्य कागजात की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

तलाशी के समय प्रार्थीगण को मिला है। जो सील सुदा हालत में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, चूरू के न्यायालय में प्रस्तुत करने का लिखा हुआ है।

5. यह कि अप्रार्थीगण सं० 1 से 8 ने तथाकथित उक्त फर्जी वसीयत नामे के आधार पर गलत तथ्य अंकित करते हुए अपने नाम से वादगत भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का एक आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय चूरू के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने बिना जांच बिना साक्ष्य व सबूत गैर कानूनी तरीके से उस वसीयत नामे के आधार पर वादगत भूमि का इन्तकाल प्रतिवादीगण स० 1 से 8 के नाम करने का आदेश कानूनन गलत बिना आधार एवं विधि विरूद्ध होने से प्रार्थीगण के मुकाबले शुन्य प्रभावी है जिसके खिलाफ प्रार्थीगण ने एक अपील न्यायालय जिला कलेक्टृ चूरू में प्रस्तुत कर दी है। जहां से तहसीलदार का उक्त आदेश स्थगित किया गया है ओर अपील अभी तक विचाराधीन हैं।

6. यह कि अब मौसम काश्त का है गांव मे बरसात हो चुकी है तथा तहसीलदार चुरू द्वारा गलत गैर कानूनी आदेश के अन्तर्गत इस भूमि का नामान्तरण अप्रार्थीगण सं० 1 से 8 के नाम से जिस आदेश में दर्ज हुआ है उस आदेश को जिला कलेक्टर महोदय चुरू ने स्थगित भी कर रखा है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण सं० 1 से 8 वादगत कृषि भूमि को जबरदस्ती काश्त कर प्रार्थीगण को मौके पर से बेदखल कर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमदा है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना कानून सम्बत है।

7. यह कि अप्रार्थीगण के नाम से किया गया तथाकथित वसीयत नामा दिनांक 20–3–1990 प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह स्वयं ने अपने जीवनकाल में निरस्त करवा दिया था इसलिये अब इस वादगत कृषि भूमि पर तथाकथित वसीयतनामे के आधार पर कोई कानूनी अधिकार अप्रार्थीगण को हासिल नहीं है जबकि प्रार्थीगण स्वर्गीय रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के 8 जायन्दा लडके तीन लडकिया एवं उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। ओर जीवनपर्यन्त इसके साथ रहे है। तथाकथित भूमि के अलावा उनके नाम से अन्य कोई भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के नाम से तथाकथित वसीयत करने का कोई न्यायोचित कारण एवं आधार नहीं है। तथा यह वसीयत नामा फर्जी था एवं फर्जी होना स्वतः साबित है।

8. यह कि वादगत कृषि भूमि को प्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चुरू के यहां मुर्तहीन बिना कब्जा रहन किया था जो अभी तक बैंक के रहन है। जिससे यह तथ्य साबित होता है। यदि तथाकथित वसीयतनामा प्रभावी होता तो स्वर्गीय रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि बैंक के पक्ष में रहन रखकर कतई ऋण प्राप्त नहीं करते जो अभी तक रहन चली आ रही है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित एवं प्रमाणित है।

9. अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि अप्रार्थीगण सं० 1 से 8 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वोह वादगत कृषि भूमि ख० नं० 309 तादादी 4.10 बीघा, ख० नं० 311 तादादी 3 विश्वा, ख० नं० 312 तादादी 31.10 बीघा, ख० नं० 348 तादादी 15.10 बीघा रोही गांव पोटी तहसील व जिला चुरू से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे न स्वयं जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करे न प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी [illegible] तर्क फैल करे जिससे वादीगण के हक एवं अधिकारों पर विपरीत असर [illegible] का होने से दर्ज रजिस्टर किया प्रार्थना–पत्र न्यायालय [illegible] संख्या 01 व 04 से 08 की जाकर अप्रार्थीगण को [illegible] वकालतनामा पेश कर जवाब प्रस्तुत किया व ओर से अधिवक्ता भंवरसिंह शेखावत ने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 02 व 03 पर विधिवत तामील के बावजूद कोई नहीं आने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थीगण सं. 1,4 से 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र

1. मद सं 1 प्रार्थना पत्र मे अनवान सदर का दावा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया जाना सही लिखा गया है मगर दावा गलत व निराधार होने के कारण प्रार्थी को कामयाबी मिलने की कतई संभावना नही है।
2. मद सं 2 प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि ख न 309, 311, 312 एवं 348 रोही गांव पोटी तहसील चुरू की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम से अंकित थी मगर उक्त भूमि को संवत 2012 यानि सन् 1955 से हम अप्रार्थीगण के पिता चूनसिंह उर्फ चूना वल्द सुरजा के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग की चली आ रही है। तथा चूनसिंह के स्वर्गवास के पश्चात यह कृषि भूमि हम अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त मे है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सं. 2012 से 2015 की प्रति पेश की जा रही है। इस मद मे रामलाल का स्वर्गवास दिनांक 9.4.07 को होना सही लिखा गया है।
3. मद सं 3 प्रार्थना पत्र सर्वथा गलत लिखा गया है हम अप्रार्थीगण को स्वीकार नही अस्वीकार किया जाता है। इस मद मे वर्णित अनुसार वादगत कृषि भूमि को प्रार्थीगण एंव गौण प्रतिवादीगण सं 11 से 14 न तो रामलाल के साथ काश्त करते थे न ही रामलाल के स्वर्गवास के पश्चात अब प्रार्थीगण का इस भूमि पर कब्जा काश्त है। इस मद मे मौके पर अब प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना गलत लिखा गया है। इस खेत मे 40 वर्षो पुरानी ढाणी अथवा मकान रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह के द्वारा बनाये हुए होना भी इस मद मे मिथ्या एंव गलत अंकित किए गए है। सही तथ्य यह है कि रिकॉर्ड में खातेदारी रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह की सं 2016 में दर्ज हुई मगर इन खेतो पर संवत 2012 से पहले से ही अप्रार्थीगण के पिता चूनसिंह उर्फ चूना का कब्जा काश्त बहैसियत टिनेन्ट के चला आ रहा है। चूनसिंह के स्वर्गवास के पश्चात इस भूमि पर कब्जा काश्त हम अप्रार्थीगण का साधिकार रूप से चला आ रहा है। इस खेत में चूनसिंह के समय से ही उनके लडको मांगूसिंह, बिशनसिंह, किशनसिह, व बन्नेसिंह के मकान बने हुए है जिनमे अलग अलग परिवार सहित ये रिहायश करते आ रहे है। अप्रार्थीगण की करीब 40 वर्षो से इस खेत मे ही मकान व रिहायश है। अप्रार्थीगण ने इस मद मे बिल्कुल गलत तथ्य लिखे है जो तमाम अस्वीकार किए जाते है। अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के हर प्रकार से खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने न तो कभी इस खेत को काश्त किया न ही किसी प्रकार से वे वादगत भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के हकदार है।
4. मद सं 4 प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत व मनगढंत लिखा गया है हम अप्रार्थीगण को स्वीकार नही अस्वीकार किया जाता है। जैसा कि जवाब प्रार्थना पत्र की ऊपर की मदों में अंकित किया गया है, वादगत कृषि भूमि संवत 2012 के पहले से ही अप्रार्थीगण के पिता चूनसिंह उर्फ चूना वल्द सुरजा के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे चली आ रही थी। राजस्व रिकार्ड मे इस खेत की खातेदारी रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम थी मगर वे नौकरी करते थे चूंकि रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह की बहन अप्रार्थीगण के पिता चूनसिंह को ब्याही हुई थी। इसलिए अप्रार्थीगण व उनका बिल्कुल नजदीकी रिश्ता था। रामलालसिंह उर्फ रामचन्द्रसिंह बहुत ही भले व नेकनियत इन्सान थे। उन्होने भविष्य मे इस खेत मे कोई विवाद पैदा न हो, व प्रेम व स्नेह से प्रभावित होकर चूनसिंह के लडके मांगूसिंह व अप्रार्थीगण सं 1 [illegible] बन्नेसिंह जो रामलाल के सगे भान्जे लगते है के पक्ष मे वादगत खेतो [illegible] नामा अपनी स्वेच्छा से व दुरुस्त होश हवास मे दिनांक 19.3.90 [illegible] समक्ष अपने हस्ताक्षरो से निष्पादित करके दिनांक 20.3.90 [illegible] चूरू के समक्ष उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

वसीयतनामा को पंजीकृत करवा दिया था तथा उक्त वसीयतनामा के बाबत तहसीलदार साहब चूरू द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य के उपरान्त वादगत खेतो की खातेदारी सही तरीके से हम अप्रार्थीगण के नाम से अंकित करवा दी गई। इस प्रकार से एक नेकनियती व साफ छवि व शिक्षित सभ्य इन्सान द्वारा सोच समझकर पंजीकृत दस्तावेज वसीयतनामा को उनके ही लोभी लालची पुत्रो व वारीसो द्वारा फर्जी व साजिशना बताना कतई हास्यास्पद व प्रार्थीगण की घटिया सोच का प्रतिक है। इस मद मे वसीयत दिनांक 20.3.90 को दोहिते संजयसिंह माघा का माजरा (अलवर) व किसी रिश्तेदार करतारसिंह के समक्ष रदद करना व खाकी रंग के लिफाफे मे बंदकर सील लिफाफे पर लगाकर लिखापढी करना व बक्से मे रखना सर्वथा गलत लिखा गया है। अगर प्रार्थीगण ने इस प्रकार की कोई लिखापढी फर्जी बनाकर लिफाफे मे रख रखी है तो वह प्रार्थीगण का अपराधिक कृत्य होगा। दावा व प्रार्थना पत्र मे अभी तक ऐसा दस्तावेज न तो पेश किया गया है न ही उसकी प्रति कही पेश की गई है। स्वर्गीय रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह मरते वक्त तक ऐसी कोई लिखित नही करके गए। उनका एक लडका पोस्ट आफिस मे नौकरी अवश्य करता है जहां कोई फर्जी दस्तावेज तैयार कर चपडी लगा ली हो तो ऐसे किसी लिफाफे पर कोई विश्वास नही किया जा सकता। अगर प्रार्थीगण के पिता वसीयतनामा दिनांक 20.3.90 को निरस्त करना चाहते तो अपने परिवार के सदस्यो के समक्ष ही करते उनको प्रार्थीगण से छुपाने की नौबत क्यो आई। इस प्रकार से इस मद के तमाम तथ्य कपोल कल्पित व गलत लिखे गए है जो तमाम हम अप्रार्थीगण द्वारा अस्वीकार किए जाते है।

5. मद सं 5 प्रार्थना पत्र मे तथ्य जिस प्रकार से लिखे गए है हम अप्रार्थीगण को स्वीकार नही अस्वीकार किए जाते है। इस मद मे वसीयतनामा फर्जी होने का तथ्य बिल्कुल गलत लिखा गया है वसीयतनामा पंजीकृत शुदा है। अप्रार्थीगण द्वारा इस भूमि का इंतकाल दर्ज करने हेतु आवेदन अवश्य किया गया था मगर तहसीलदार महोदय चूरू द्वारा बिना जांच व साक्ष्य के सबूत के वादगत कृषि भूमि का इंतकाल अप्रार्थीगण के नाम से करने का तथ्य बिल्कुल गलत लिखे गए है। तहसीलदार महोदय द्वारा दोनो पक्षो का जबाब लेकर व साक्ष्य का मौका दिए जाने के उपरान्त ही सही कानून सम्मत निर्णय पारित किया था। प्रार्थीगण ने जिला कलैक्टर चूरू के न्यायालय मे अपील ही गलत पेश कर रखी है । कलैक्टर चूरू को उक्त अपील की सुनवाई के अधिकार नही है । इस प्रकार से इस मद मे तमाम तथ्य प्रार्थीगण ने तोड मरोडकर लिखे है।

6. मद सं 6 प्रार्थना पत्र मे लिखे तमाम तथ्य गलत लिखे गए है स्वीकार नही अस्वीकार किए जाते है । इस खेत पर प्रार्थीगण का आज तक कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है न ही इस भूमि मे प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार किसी प्रकार से रहा है या है। सही तथ्य यह है कि पहली वर्षात होते ही सदा की भांति अप्रार्थीगण, जो इन खेतो मे ही निवास करते है, जून माह मे ही अपने खेतो को काश्त कर लिया था तथा मौके पर अप्रार्थीगण की बडी बडी फसल खडी है । अब 3—4 दिनो मे प्रार्थीगण सं 2 से 4 इस खेत के बाहर चक्कर लगा रहे है तथा अप्रार्थीगण को धमकिया दे रहे है कि उनके पक्ष मे स्टे है। इसलिए एकपक्षीय स्थगन आदेश होने से प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण को तंग व आतंक कर रखा है । जब प्रार्थीगण का वादगत खेतो पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है तो उनके बेदखल किए जाने का तथ्य ही गलत लिखा गया है । प्रार्थीगण ने झुठा व लालच के वशीभूत होकर गलत राय से यह दावा व प्रार्थना पत्र झुठा पेश किया है । प्रार्थीगण किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त ... अधिकारी नही है।

7. मद सं 7 प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य ... लिखे गए है हम अप्रार्थीगण को स्वीकार नही है अस्वीकार किए ... सं 4 व 5 मे अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है वसीयतनामा दिनांक 20.3.90 को अप्रार्थीगण के पक्ष मे करने की माकूल वजह थी। वसीयतनामा सोच समझकर करवाया गया था जो आज तक निरस्त नही किया गया है । इस मद मे तमाम तथ्य कपोल कल्पित व प्रार्थना पत्र को रंग देने की नियत से लिखे गए है जो अस्वीकार किए जाते है।

8. मद सं 8 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से लिखा गया है स्वीकार नही अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के पिता ने उक्त कृषि भूमि पर ऋण नही लिया था वे एक सभ्य व नेक नियत इंसान थे तथा उनका इरादा कभी भी अप्रार्थीगण को की गई वसीयत रद्द करने का नही था। जीवन के आखिरी वक्त मे वो बीमार हो गए थे प्रार्थीगण को इस भूमि की वसीयत दिनांक 20.3.90 का ज्ञान रहा है प्रार्थीगण ने बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चूरू से साज करके व रामलालसिंह के बीमारी अवस्था व लाचारी मे इनको बिना बताये बैंक वालो से साज करके ऋण प्राप्त किया था तथा प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है प्रार्थीगण ने लालच के वशीभूत होकर ये झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

9. अंतिम मद बिना नंबरी अनुतोष प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को स्वीकार नही अस्वीकार किया जाता है । प्रार्थीगण इस दावा व प्रार्थना पत्र मे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नही है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

विशेष कथन

10. यह कि कृषि भूमि साबिका ख न 101 हाल ख न 309 तादादी 4 बीघा 10 बिश्वा, ख न 311 तादादी 3 बिश्वा ख न 312 तादादी 31 बीघा 10 बिश्वा एवं ख न 348 तादादी 15 बीघा 10 बिश्वा कुल रकबा 51 बीघा 13 बिश्वा रोही गांव पोटी तहसील व जिला चूरू राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव मे आया उससे पहले से ही अप्रार्थी सं 1 से 3 के पिता चूनसिह उर्फ चूना वल्द सुरजा के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे चली आ रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रेकार्ड जमबंदी व गिरदावरियो मे है। चूनसिह ने अपने जीवनकाल मे ही इस खेत मे अपने चार लडको बिशनसिंह किशनसिह बन्नेसिह मांगूसिहके लिए इस कृषि भूमि मे चार जगह पक्के मकान बना दिए थे तथा वादगत कृषि भूमि मे ही रिहायश करते रहे व खेत को काश्त व उपयोग उपभोग मे लेते रहे । चूनसिह के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थीगण इस खेत मे काबिज है एंव परिवार सहित रिहायश करते है इस खेत की रेकार्ड मे खातेदारी संवत 2016 मे रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिह जो अप्रार्थीगण के सगे मामा लगते है के नाम से हो गई मगर उक्त रामलाल नौकरी करते थे । रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह एक सुशिक्षित सभ्य इंसान थे जिनके मन मे कतई लालच नही था। उन्होने अपने नजदीकी रिश्ते व मौके की वास्तविक स्थिति को ध्यान मे रखकर एवं भविष्य मे उनके नाम से अंकित खातेदारी को लेकर कोई विवाद पैदा न हो इस नियत से राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम से अंकित खातेदारी की वादगत कृषि भूमि का एक वसीयतनामा 5/ रू के स्टाम्प पर दिनांक 19.3.90 को अपनी राजी खुशी खुब सोच विचार कर दुरुस्त होश हवास के अपनी स्वतन्त्र इच्छा से अपने सगे भान्जे मांगूसिंह बिशनसिंह किशनसिंह व ब[illegible]सीगण गांव पोटी के पक्ष मे वसीयतनामा दो गवाह जग्गुराम नायक नि[illegible] रामसिंह राजपूत निवासी कोहिणा के समक्ष तहरीर करवाकर [illegible] दिनांक 20.3.90 को उक्त वसीयतनामा उपपंजीयक [illegible] वसीयत ग्रहिता मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस अप्रार्थी[illegible] 4 से 8 है रामलाल सिंह का स्वर्गवास दिनांक 9.4. 07 को हो चुका है तथा उक्त व[illegible]त दिनांक 20.3.90 इस खेत की उनके द्वारा की गई अंतिम वसीयत है जो आज तक रदद नही की गई है। इस प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण के पुराने पैत्रिक कब्जे काश्त व रिकार्ड मे अंकित खातेदारी की वसीयत अप्रार्थीगण के पक्ष मे किए जाने के फलस्वरूप अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के हर प्रकार से खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा तहसीलदार चूरू द्वारा अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज भी करवा दी गई है। इस प्रकार से प्रार्थीगण का वादगत कृषि भूमि पर न तो कब्जा काश्त रहा है और न ही वे इस भूमि के खातेदार या अन्य हक प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला किसी भी प्रकार से नही बनता है।

11. यह कि अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के रिकार्डड खातेदार काबिज काश्तकार है इस भूमि मे उनकी पक्की रिका हश हे कानूनन रिकार्डड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश नही दिया जा सकता इसलिए इसी बिन्दु पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के योग्य है।
12. यह कि वादगत कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है न दावा पेश करने के वक्त प्रार्थीगण का कब्जा था इसलिए बिना कब्जे के प्रार्थीगण स्थगन आदेश प्राप्त करने के मुस्तहत नही है पिछले 60 वर्षो से अप्रार्थीगण व उसके परिवार का वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अगर प्रार्थीगण के पक्ष मे स्थगन आदेश कायम रहता है तो अप्रार्थीगण अपने अधिकारो से वंचित रह जावेगें। इन खेतो मे ही उनके घर है इसलिए स्थगन आदेश कायम रहने से वे बेघर बार हो जावेगे । इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किए जाने के काबिल है।
13. यह कि प्रार्थीगण ने एक खाकी लिफाफे मे कोई फर्जी दस्तावेज बना रखा है और उसको चपडी लगाकर बंद कर रखा है जिसको प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वसीयतनामा रद्द करने का लिखा है उक्त लिफाफा प्रार्थी सं 2 पोस्ट ऑफिस मे नौकरी करता है जिसने चपडी लगाकर लिफाफा मे फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखा है तथा ऐसे साजिसाना फर्जी दस्तावेज के लिए न्यायालय को गवाह बनाकर न्यायालय से उसे खुलवाना चाहता है जिसकी कानूनन कोई अहमियत नही है। अगर दस्तावेज सही होता तो प्रार्थीगण खोलकर पेश करते थे मगर उसे पहले तो तहसीलदार के यहां लिए फिरते रहे अब कलैक्टर महोदय द्वारा खुलवाने के लिए आवेदन कर रखा है । समझ से परे की बात है कि उक्त लिफाफा प्रार्थीगण से क्यो नही खुलता । इस प्रकार से प्रार्थीगण नाटकबाजी करके अप्रार्थीगण की भूमि हडपने की साजिश के तहत यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गलत व वास्तविकता के विपरीत है । इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने योग्य है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे व उनके पक्ष मे जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश निरस्त फरमाया जावे । बडी कृपा होगी ।

बयान

मनके मोहनाराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष पेशा खेती निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथ पूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मै बयान करता हूँ कि मै अप्रार्थीगण को जानता हूँ व इनके खेत को भी जानता हूँ। इनके खेत ख न 309, 311, 312 एवं 348 रोही पोटी तहसील चूरू ग्राम आबादी पोटी के चिपता हुआ दक्षिणी पश्चिमी तरफ स्थित है।
2. मै बयान करता हूँ कि वादगत खेत को [illegible] काश्त करते देखता हूँ । इस खेत को मेरी याददाश्त मे पहले [illegible] चुनसिंह काश्त करते थे तथा उन्होंने अपने जी[illegible]र लडको बिशनसिंह, किशनसिंह, बन्नेसिंह एवं [illegible] के रिहायशी [illegible] मकान बनाकर दिए थे जिसमे ये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

लोग रिहायश करते आ रहे है मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिस अप्रार्थीगण सं 4 से 8 है। अप्रार्थीगण इस खेत को काश्त करते है।

3. मै बयान करता हूँ कि प्रार्थीगण शारदादेवी वगैरह ने कभी भी इस खेत को काश्त नही किया न उनका इस खेत पर कभी कब्जा रहा है प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम इस खेत की खातेदारी थी मगर कब्जा सदा से ही चूनसिंह व उनके वारिसान का ही रहा है ।
4. मै बयान करता हूँ कि इस वर्ष ही बरसात होने पर अप्रार्थीगण ने जून माह मे इन खेतो को काश्त कर लिया था तथा इनमे बाजरी मोठ गूंवार की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर बड़ी बड़ी खडी है तथा खेत मे वर्तमान कब्जा अप्रार्थीगण का ही है ।

मनके गोकलसिंह पुत्र श्री रामदयालसिंह जाति राजपूत उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथ पूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मैं बयान करता हूँ कि मैं अप्रार्थीगण को जानता हूँ व इनके खेत को भी जानता हूँ इनके खेत ख न 309, 311, 312 एवं 348 रोही पोटी तहसील चूरू के पास ही आबादी मे मेरा घर है मै इस खेत को काश्त करते देखता हूँ।
2. मैं बयान करता हूँ कि इस खेत को पिछले 50 वर्षो से काश्त करते देखता हूँ। इस खेत को पहले अप्रार्थीगण सं 1 से 3 के पिता चूनसिंह काश्त करते थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल मे इस खेत मे अपने चार लडको बिशनसिंह, किशनसिंह, बन्नेसिंह एवं मांगूसिंह के रिहायशी पक्के मकान बनाकर दिए थे जिसमे ये लोग रिहायश करते आ रहे है मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिस अप्रार्थीगण सं 4 से 8 है जो इस खेत को काश्त करते है।
3. मैं बयान करता हूँ कि प्रार्थीगण शारदादेवी वगेरह ने कभी भी इस खेत को काश्त नही किया न उनका इस खेत पर कभी कब्जा रहा है प्रार्थीगण के पुर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम इस खेत की खातेदारी थी मगर कब्जा सदा से ही चूनसिंह व उनके वारिसान का ही रहा है।
4. मैं बयान करता हूँ कि इस वर्ष ही बरसात होने पर अप्रार्थीगण ने जून माह मे इन खेतो को काश्त कर लिया था तथा इनमे बाजरी मोठ गूंवार की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर बड़ी बडी खड़ी है तथा खेत मे वर्तमान कब्जा अप्रार्थीगण का ही है।

मनके भगवानाराम पुत्र श्री मोटाराम जाति नायक उम्र 45 वर्ष पेशा खेती निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथ पूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मैं बयान करता हूँ कि मैं अप्रार्थीगण को जानता हूँ व इनके खेत को भी जानता हूँ इनके खेत ख न 309, 311, 312 एवं 348 रोही पोटी तहसील चूरू ग्राम आबादी पोटी से चीपता हुआ दक्षिण पश्चिमी तरफ स्थित है।
2. मैं बयान करता हूँ कि वादगत खेत को मेरी याददाश्त से काश्त करते देखता हूँ। इस खेत को पहले अप्रार्थीगण सं 1 से 3 के पिता चूनसिंह काश्त करते थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में इस खेत मे अपने चार लडको बिशनसिंह, किशनसिंह, बन्नेसिंह एवं मांगूसिंह के रिहायशी पक्के मकान बनाकर दिए थे जिसमे ये लोग रिहायश करते आ रहे है मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिस अप्रार्थीगण सं 4 से 8 है। अप्रार्थीगण इस खेत को काश्त करते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

3. मैं बयान करता हूँ कि प्रार्थीगण शारदादेवी वगैरह ने कभी भी इस खेत को काश्त नही किया न उनका इस खेत पर कभी कब्जा रहा है प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम इस खेत की खातेदारी थी मगर कब्जा सदा से ही चूनसिंह व उनके वारिसान का ही रहा है ।
4. मैं बयान करता हूँ कि इस वर्ष ही बरसात होने पर अप्रार्थीगण ने जून माह में इन खेतो को काश्त कर लिया था तथा इनमे बाजरी मोठ गूंवार की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर बड़ी बड़ी खड़ी है तथा खेत में वर्तमान कब्जा अप्रार्थीगण का ही है ।

मनके नोपाराम पुत्र श्री जैसाराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथ पूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मैं बयान करता हूँ कि मैं अप्रार्थीगण को जानता हूँ व इनके खेत को भी जानता हूँ इनके खेत ख न 309, 311, 312 एवं 348 रोही पोटी तहसील चूरू ग्राम आबादी पोटी के चिपता हुआ दक्षिणी पश्चिमी तरफ स्थित है।
2. मैं बयान करता हूँ कि वादगत खेत को हमेशा से काश्त करते देखता हूँ । इस खेत को मेरी याददाश्त में पहले अप्रार्थीगण सं 1 से 3 के पिता चूनसिंह काश्त करते थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में इस खेत में अपने चार लडको बिशनसिंह, किशनसिंह, बन्नेसिंह एवं मांगूसिंह के अलग अलग चार रिहायशी पक्के मकान बनाकर दिए थे जिसमे ये लोग रिहायश करते आ रहे है मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिस अप्रार्थीगण सं 4 से 8 है। अप्रार्थीगण इस खेत को काश्त करते है।
3. मैं बयान करता हूँ कि प्रार्थीगण शारदादेवी वगैरह ने कभी भी इस खेत को काश्त नही किया न उनका इस खेत पर कभी कब्जा रहा है प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम इस खेत की खातेदारी थी मगर कब्जा सदा से ही चूनसिंह व उनके वारिसान का ही रहा है ।
4. मैं बयान करता हूँ कि इस वर्ष ही बरसात होने पर अप्रार्थीगण ने जून माह में इन खेतो को काश्त कर लिया था तथा इनमे बाजरी मोठ गूंवार की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर बड़ी बड़ी खड़ी है तथा खेत मे वर्तमान कब्जा अप्रार्थीगण का ही है ।

मनके हरीराम पुत्र श्री भगवानाराम जाति नायक उम्र 30 वर्ष पेशा खेती निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथ पूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मैं बयान करता हूँ कि मैं अप्रार्थीगण को जानता हूँ व इनके खेत को भी जानता हूँ इनके खेत ख न 309, 311, 312 एवं 348 रोही पोटी तहसील चूरू ग्राम आबादी पोटी के चिपता हुआ दक्षिणी पश्चिमी तरफ स्थित है।
2. मैं बयान करता हूँ कि वादगत खेत को हमेशा से काश्त करते देखता हूँ । इस खेत को मेरी याददाश्त में पहले अप्रार्थीगण सं 1 से 3 के पिता चूनसिंह काश्त करते थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में इस खेत में अपने चार लडको बिशनसिंह, किशनसिंह, बन्नेसिंह एवं मांगूसिंह के अलग अलग चार रिहायशी पक्के मकान बनाकर दिए थे जिसमे ये लोग रिहायश करते आ रहे है मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिस अप्रार्थीगण सं 4 से 8 है। अप्रार्थीगण इस खेत को काश्त करते है।
3. मैं बयान करता हूँ कि प्रार्थीगण शारदादेवी वगैरह ने कभी भी इस खेत को काश्त नही किया न उनका इस खेत पर कभी कब्जा रहा है प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम इस खेत की खातेदारी थी मगर कब्जा सदा से ही चूनसिंह व उनके वारिसान का ही रहा है ।
4. मैं बयान करता हूँ कि इस वर्ष ही बरसात होने पर अप्रार्थीगण ने जून माह में इन खेतो को काश्त कर लिया था तथा इनमे बाजरी मोठ गूंवार की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर बड़ी बड़ी खड़ी है तथा खेत में वर्तमान कब्जा अप्रार्थीगण का ही है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

मनके महावीरप्रसाद पुत्र श्री डूंगरराम जाति मेघवाल उम्र 35 वर्ष पेशा खेती हाल वार्ड पंच ग्राम पंचायत बीनासर निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथ पूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मैं बयान करता हूँ कि मैं अप्रार्थीगण को जानता हूँ व इनके खेत को भी जानता हूँ इनके खेत ख न 309, 311, 312 एवं 348 रोही पोटी तहसील चूरू ग्राम आबादी पोटी के चिपता हुआ दक्षिणी पश्चिमी तरफ स्थित है।
2. मैं बयान करता हूँ कि वादगत खेत को हमेशा से काश्त करते देखता हूँ । इस खेत को मेरी याददाश्त में पहले अप्रार्थीगण सं 1 से 3 के पिता चूनसिंह काश्त करते थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में इस खेत में अपने चार लडको बिशनसिंह, किशनसिंह, बन्नेसिंह एवं मांगूसिंह के अलग अलग चार रिहायशी पक्के मकान बनाकर दिए थे जिसमे ये लोग रिहायश करते आ रहे है मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिस अप्रार्थीगण सं 4 से 8 है। अप्रार्थीगण इस खेत को काश्त करते है।
3. मैं बयान करता हूँ कि प्रार्थीगण शारदादेवी वगैरह ने कभी भी इस खेत को काश्त नही किया न उनका इस खेत पर कभी कब्जा रहा है प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम इस खेत की खातेदारी थी मगर कब्जा सदा से ही चूनसिंह व उनके वारिसान का ही रहा है ।
4. मैं बयान करता हूँ कि इस वर्ष ही बरसात होने पर अप्रार्थीगण ने जून माह में इन खेतो को काश्त कर लिया था तथा इनमे बाजरी मोठ गूंवार की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर बड़ी बड़ी खड़ी है तथा खेत में वर्तमान कब्जा अप्रार्थीगण का ही है ।

मनके भगवानसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह जाति राजपूत उम्र 45 वर्ष पेशा खेती निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथ पूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मैं बयान करता हूँ कि मैं अप्रार्थीगण को जानता हूँ व इनके खेत को भी जानता हूँ इनके खेत ख न 309, 311, 312 एवं 348 रोही पोटी तहसील चूरू के पास ही चीपता हुआ उत्तर में मेरा खुद का खेत है ।
2. मैं बयान करता हूँ कि वांदगत खेत को पिछले 35 वर्षों से काश्त करते देखता हूँ । इस खेत को पहले अप्रार्थीगण सं 1 से 3 के पिता चूनसिंह काश्त करते थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में इस खेत में अपने चार लडको बिशनसिंह, किशनसिंह, बन्नेसिंह एवं मांगूसिंह के रिहायशी पक्के मकान बनाकर दिए थे जिसमे ये लोग रिहायश करते आ रहे है मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिस अप्रार्थीगण सं 4 से 8 है। अप्रार्थीगण इस खेत को काश्त करते है।
3. मैं बयान करता हूँ कि प्रार्थीगण शारदादेवी वगैरह ने कभी भी इस खेत को काश्त नही किया न उनका इस खेत पर कभी कब्जा रहा है प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम इस खेत की खातेदारी थी मगर कब्जा सदा से ही चूनसिंह व उनके वारिसान का ही रहा है ।
4. मैं बयान करता हूँ कि इस वर्ष ही बरसात होने पर अप्रार्थीगण ने जून माह में इन खेतो को काश्त कर लिया था तथा इनमे बाजरी मोठ गूंवार की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर बड़ी बड़ी खड़ी है तथा खेत में वर्तमान कब्जा अप्रार्थीगण का ही है ।

मनके बिडदाराम पुत्र श्री खेताराम जाति नायक उम्र 55 वर्ष पेशा खेती निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथ पूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मैं बयान करता हूँ कि मैं अप्रार्थीगण को जानता हूँ व इनके खेत को भी जानता हूँ इनके खेत ख न 309, 311, 312 एवं 348 रोही पोटी तहसील चूरू के पास ही चीपता हुआ दक्षिण मे मेरा खुद का खेत है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

2. मैं बयान करता हूँ कि वादगत खेत को पिछले 50 वर्षों से काश्त करते देखता हूँ । इस खेत को पहले अप्रार्थीगण सं 1 से 3 के पिता चूनसिंह काश्त करते थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल मे इस खेत मे अपने चार लडको बिशनसिंह, किशनसिंह, बन्नेसिंह एवं मांगूसिंह के रिहायशी पक्के मकान बनाकर दिए थे जिसमे ये लोग रिहायश करते आ रहे है मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिस अप्रार्थीगण सं 4 से 8 है। अप्रार्थीगण इस खेत को काश्त करते है।
3. मैं बयान करता हूँ कि प्रार्थीगण शारदादेवी वगैरह ने कभी भी इस खेत को काश्त नही किया न उनका इस खेत पर कभी कब्जा रहा है प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम इस खेत की खातेदारी थी मगर कब्जा सदा से ही चूनसिंह व उनके वारिसान का ही रहा है ।
4. मैं बयान करता हूँ कि इस वर्ष ही बरसात होने पर अप्रार्थीगण ने जून माह मे इन खेतो को काश्त कर लिया था तथा इनमे बाजरी मोठ गूंवार की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर बड़ी बड़ी खड़ी है तथा खेत मे वर्तमान कब्जा अप्रार्थीगण का ही है ।

मनके जीवराजसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह जाति राजपूत उम्र 30 वर्ष पेशा खेती निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथ पूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मैं बयान करता हूँ कि मैं अप्रार्थीगण को जानता हूँ व इनके खेत को भी जानता हूँ इनके खेत ख न 309, 311, 312 एवं 348 रोही पोटी तहसील चूरू ग्राम आबादी पोटी के चिपता हुआ दक्षिणी पश्चिमी तरफ स्थित है।
2. मैं बयान करता हूँ कि वादगत खेत को हमेशा से काश्त करते देखता हूँ । इस खेत को मेरी याददाश्त में पहले अप्रार्थीगण सं 1 से 3 के पिता चूनसिंह काश्त करते थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में इस खेत में अपने चार लडको बिशनसिंह, किशनसिंह, बन्नेसिंह एवं मांगूसिंह के रिहायशी पक्के मकान बनाकर दिए थे जिसमे ये लोग रिहायश करते आ रहे है मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिस अप्रार्थीगण सं 4 से 8 है। अप्रार्थीगण इस खेत को काश्त करते है।
3. मैं बयान करता हूँ कि प्रार्थीगण शारदादेवी वगैरह ने कभी भी इस खेत को काश्त नही किया न उनका इस खेत पर कभी कब्जा रहा है प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम इस खेत की खातेदारी थी मगर कब्जा सदा से ही चूनसिंह व उनके वारिसान का ही रहा है ।
4. मैं बयान करता हूँ कि इस वर्ष ही बरसात होने पर अप्रार्थीगण ने जून माह में इन खेतो को काश्त कर लिया था तथा इनमे बाजरी मोठ गूंवार की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर बड़ी बड़ी खडी है तथा खेत में वर्तमान कब्जा अप्रार्थीगण का ही है ।

मनके दुर्गाराम पुत्र श्री रेंवतराम जाति मेघवाल उम्र 35 वर्ष पेशा खेती निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथ पूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मैं बयान करता हूँ कि मैं अप्रार्थीगण को जानता हूँ व इनके खेत को भी जानता हूँ इनके खेत ख न 309, 311, 312 एवं 348 रोही पोटी तहसील चूरू के पास ही चिपता हुआ दक्षिण में मेरा खुद का खेत है ।
2. मैं बयान करता हूँ कि वादगत खेत को हमेशा से काश्त करते देखता हूँ । इस खेत को मेरी याददाश्त में पहले अप्रार्थीगण सं 1 से 3 के पिता चूनसिंह काश्त करते थे तथा उन्होंने अपने जीवनकाल में इस खेत में अपने चार लडको बिशनसिंह, किशनसिंह, बन्नेसिंह एवं मांगूसिंह के रिहायशी पक्के मकान बनाकर दिए थे जिसमे ये लोग रिहायश करते आ रहे है मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है और उनके वारिस अप्रार्थीगण सं 4 से 8 है। अप्रार्थीगण इस खेत को काश्त करते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

3. मैं बयान करता हूँ कि प्रार्थीगण शारदादेवी वगैरह ने कभी भी इस खेत को काश्त नही किया न उनका इस खेत पर कभी कब्जा रहा है प्रार्थीगण के पूर्वज रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम इस खेत की खातेदारी थी मगर कब्जा सदा से ही चूनसिंह व उनके वारिसान का ही रहा है ।
4. मैं बयान करता हूँ कि इस वर्ष ही बरसात होने पर अप्रार्थीगण ने जून माह में इन खेतो को काश्त कर लिया था तथा इनमे बाजरी मोठ गूंवार की फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर बड़ी बड़ी खड़ी है तथा खेत में वर्तमान कब्जा अप्रार्थीगण का ही है ।

मनके बिशनसिंह पुत्र चून सिंह जाति राजपूत उम्र 52 वर्ष पेशा खेती निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथपूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मैं बयान करता हूँ कि कृषि भूमि खं न 309 तादादी 4 बीघा 10 बिश्वा, ख न 311 तादादी 3 बिश्वा ख न 312 तादादी 31 बीघा 10 बिश्वा एवं ख न 348 तादादी 15 बीघा 10 बिश्वा रोही मौजा पोटी संवत 2012 से पहले से ही मेरे पिता चून सिंह उर्फ चूना पुत्र सुरजा काश्त करते थे तथा मेरे पिता के स्वर्गवास के पश्चात इस खेत को हम अप्रार्थीगण काश्त करते है । इस खेत मे इस वर्ष वर्षात होने पर हम अप्रार्थीगण ने बाजरी मोठ गुवार की फसल काश्त की है जो मौके पर अच्छी स्थिती मे मौजूद है।
2. मैं बयान करता हूँ कि इस खेत मे हमारे पिताजी चूनसिंह के समय से हमारे चार भाइयो अर्थात मेरे व किशनसिंह, बन्नेसिंह एवं मांगूसिंह के मकान चार जगह पर अलग अलग बनाए हुए है। मेरे भाई मांगूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा हम अप्रार्थीगण इस खेत मे बने हमारे मकानों मे ही परिवार सहित रिहायश करते आ रहे है।
3. मैं बयान करता हूँ कि इस खेत की खातेदारी मेरे सगे मामा रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह के नाम से अंकित थी रामलाल नौकरी करते थे तथा वादगत खेत पर हमारा पुराना कब्जा काश्त होने से भविष्य मे कोई विवाद उनके खातेदारी मे नाम अंकित होने से न हो तथा प्रेम व स्नेह से प्रेरित होकर इस खेत को हमारे नाम से करवाने के लिए रामलाल उर्फ रामचन्द्रसिंह ने दिनांक 20.3.90 को हम अप्रार्थीगण सं 1 से 3 एंव मेरे भाई मांगूसिंह के पक्ष मे वसीयतनामा कार्यालय उपपंजियक चूरू के समक्ष पंजीकृत करवा दी थी। यह वसीयत उनकी अंतिम वसीयत थी।
4. मै बयान करता हूं कि वादगत कृषि भूमि पर प्रार्थिगण सं. 1 ता 5 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है उन्होने झुठे कथन अंकित करते हुए हमाने खिलाफ अपना कब्जा बताते हुए गलत प्रार्थना पत्र व दावा पेश किया है।
5. मै बयान करता हूं कि प्रार्थीगण ने गलत रूप से पक्ष रखकर एकपक्षीय स्थगन आदेश ले रखा है अगर उक्त ओदश को निरस्त नही किया तो प्रार्थीगण बलपूर्वक हमाने खेत में कब्जा करने की कोशिश करेगे जिससे अप्रार्थीगण को न पुरा होने वाला नुक्सान होगा और असुविधा पैदा हो जावेगी

मनके जगूराम पुत्र गिरधारीलाल जाति नायक उम्र 45 वर्ष पेशा खेती निवासी पोटी तहसील व जिला चूरू का हूँ व नीचे लिखे बयान शपथ पूर्वक सही सही करता हूँ :–

1. मैं बयान करता हूँ कि कृषि भूमि ख न 309, 311, 312, व 348 कुल तादादी 51 बीघा 13 बिश्वा रोही मौजा पोटी ... मे पहले चूनसिंह के कब्जे काश्त मे रही थी । उनके जीवनकाल मे ही ... खेत मे अलग अलग स्थान पर अपने चार लडको अप्रार्थी... रिहायश के लिए मकान बना दिए थे जिनमे अब ... का ही है तथा इस वर्ष जून माह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

मे अप्रार्थीगण ने इस खेत मे बाजरी मोठ गुंवार की फसल काश्त की है जो मौके पर
बड़ी बड़ी खड़ी है।

2. मैं बयान करता हूँ कि इस खेत पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है
न उनका अब मौके पर काश्त है।

3. मैं बयान करता हूँ यह खेत रिकार्ड मे बिशनसिंह अप्रार्थी के सगे मामा रामलाल उर्फ
रामचन्द्रसिंह निवासी रतननगर के नाम से थी जिन्होने अपने स्वर्गवास के पश्चात इस
खेत को अपने भान्जो बिशनसिंह बन्नेसिंह मांगूसिंह किशनसिंह निवासीगण पोटी के
नाम करवाने के लिए दिनांक 19.3.1990 को वसीयतनामा स्टाम्प पर तहरीर करवाकर
अपने हस्ताक्षर किए थें । मैने बतौर साक्षी वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किए थे तथा
उक्त वसीयतनामा दिनांक 20.3.90 को कार्यालय उपपंजीयक चूरू के समक्ष रामलाल
उर्फ रामचन्द्रसिंह ने पंजीकृत करवाया था।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया
गया जिससे प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र में कथन किया गया कि कृषि भूमि खसरा नं. 309, 311, 312 एवं 348 कुल रकबा
51 बीघा 13 बिस्वा रोही ग्राम पोटी तहसील व जिला चूरू स्थित है, जो पूर्व में स्वर्गीय
रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह के नाम खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि थी। प्रार्थीगण
का कथन है कि स्वर्गीय रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह के जीवनकाल में उक्त भूमि का
काश्त कार्य प्रार्थीगण एवं उनके साथ रहने वाले परिवारजनों द्वारा किया जाता था तथा
उनके स्वर्गवास दिनांक 09.04.2007 के पश्चात भी उक्त भूमि का कब्जा काश्त प्रार्थीगण
का ही बना हुआ है। प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण ने एक कथित फर्जी
वसीयतनामा दिनांक 19.03.1990 / पंजीकृत दिनांक 20.03.1990 के आधार पर वादगत
भूमि को हड़पने का प्रयास किया है तथा तहसीलदार चूरू द्वारा उक्त वसीयत के आधार
पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील जिला
कलेक्टर चूरू के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। अतः प्रार्थना की गई
कि अप्रार्थीगण को वादगत भूमि में हस्तक्षेप करने तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने से
अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाए।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में मुख्यतः यह कथन किया कि वादगत भूमि का वास्तविक
कब्जा संवत 2012 (लगभग वर्ष 1955) से उनके पिता चूनसिंह उर्फ चूना के पास रहा
है। चूनसिंह द्वारा अपने चार पुत्रों के लिए उक्त भूमि में पक्के मकान निर्मित कराए गए,
जिनमें आज भी परिवार निवास करता है। वादगत भूमि का निरंतर कब्जा काश्त
अप्रार्थीगण का ही रहा है। स्वर्गीय रामलाल उर्फ रामचन्द्र सिंह ने दिनांक 19.03.1990 को
अपने भान्जों के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कर दिनांक 20.03.1990 को उपपंजीयक
चूरू कार्यालय में पंजीकृत कराया था। उक्त वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार चूरू
द्वारा विधिसम्मत नामांतरण किया गया। अतः प्रार्थना पत्र को निराधार बताते हुए निरस्त
किए जाने का निवेदन [illegible]

अप्रार्थीगण की ओर से अनेक स्वतंत्र [illegible] प्रस्तुत किए गए जिनमें मोहनाराम
गोकलसिंह भगवानाराम [illegible] सावीरप्रसाद भगवानसिंह बिडदाराम
जीवराजसिंह दुर्गाराम [illegible] किया कि उक्त भूमि का कब्जा
पूर्व में चूनसिंह के पास था [illegible] उनके पुत्रों का कब्जा रहा भूमि में पक्के
मकान बने हुए हैं वर्तमान में भी खेती अप्[illegible]ण ही करते हैं प्रार्थीगण का कभी कब्जा
नहीं रहा इसके अतिरिक्त वसीयतनामा के साक्षी जगूराम ने भी अपने बयान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested

वसीयतनामा के निष्पादन एवं पंजीकरण की पुष्टि की है। इन बयानों से यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि वादगत भूमि पर लंबे समय से वास्तविक कब्जा अप्रार्थीगण का रहा है।

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों का होना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति

प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादगत भूमि पर उनका वास्तविक कब्जा है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों से यह स्थापित होता है कि भूमि पर दीर्घकालीन कब्जा अप्रार्थीगण का है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित नहीं होता।

अभिलेखों से स्पष्ट है कि वादगत भूमि में अप्रार्थीगण के मकान बने हुए हैं वे वहीं निवास करते हैं खेती भी वही कर रहे हैं यदि स्थगन आदेश जारी रखा जाता है तो वास्तविक कब्जाधारी को अपनी भूमि उपयोग से वंचित होना पड़ेगा। अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

प्रार्थीगण का कब्जा सिद्ध नहीं होने से उन्हें किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा विधिक सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादगत भूमि पर वास्तविक कब्जा अप्रार्थीगण का है प्रार्थीगण अपना कब्जा सिद्ध करने में असफल रहे हैं प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते

आदेश है कि

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 05.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:35 IST
Reason: SelfAttested